भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1173
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजातीय समुदायों में क्षयरोग के मामले

1173. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षय रोग के संबंध में योजनाओं/पहलों के कार्यान्वयन और देश में विशेषकर जनजातीय समुदायों से संबंधित लोगों में इसके उपचार के संबंध में कोई अनुसंधान/अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;
(ख) यदि हां, तो भारत में विशेषकर जनजातीय समुदायों से संबंधित लोगों के लिए क्षय रोग के उपचार और दवाओं के संबंध में शुरू की गई योजनाओं/पहलों की सूची के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में क्षय रोग से पीड़ित जनजातीय समुदायों के लोगों की आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत चार वर्षों के दौरान जनजातीय समुदायों से सम्बंधित लोगों के लिए क्षय रोग की दवाओं और उपचार के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सहित वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या देश में क्षय रोग के रोगियों में एचआईवी की व्याप्तता दर बहुत अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है; और
(च) विगत चार वर्षों के दौरान सामान्य और जनजातीय जनसंख्या के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में इनकी रैंकिंग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च):, सरकार ने वर्ष 2019-21 के दौरान 20 अलग-अलग राज्यों/राज्यों के समूह में उप-राष्ट्रीय स्तरों पर टीबी के भार का पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के माध्यम से "राष्ट्रीय टीबी व्याप्तता सर्वेक्षण" किया है। सरकार जनजातीय समुदायों सहित संपूर्ण देश में टीबी की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का कार्यान्वयन करती है। एनटीईपी के अंतर्गत जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रावधान कार्यान्वित किए जाते हैं जो निम्नवत हैं

1) टीबी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (टीबी इकाई)- प्रत्येक 2 लाख सामान्य जनसंख्या के लिए 01 इकाई की तुलना में जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या के लिए 01 इकाई

2) टीबी के निदान के लिए माइक्रोस्कोपी केन्द्र - प्रति 1 लाख सामान्य जनसंख्या पर 01 की तुलना में जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में से प्रति 50,000 जनसंख्या पर 01 इकाई

3) जनजातीय/ पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों के रोगियों को रोगी और परिचर की यात्रा लागत को कवर करने के लिए 750 रुपये (एक मुश्त) का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है

इसके अलावा, जनजातीय क्षेत्रों में एनटीईपी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्नवत हैं:

1) ओषधि प्रतिरोधी टीबी सहित टीबी के रोगियों के लिए नि शुल्क औषधियों और नैदानिक सामग्रियों का प्रावधान करना ।
2) प्रमुख रूप से कमजोर और सह-रुग्ण आबादी में सक्रिय टीबी मामलों की खोज के लिए अभियान
3) समुदाय के करीब स्क्रीनिंग और उपचार सेवाओं को विकेंद्रीकृत करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ एकीकरण ।
4) आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से आयुष्मान भव, विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविरों के दौरान कमजोर जनसंख्या की स्क्रीनिंग करना ।
5) मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशालाओं को उप-जिला स्तरों तक बढ़ाना।
6) टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए नि-क्षय पोषण योजना
7) कलंक को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए गहन आईईसी अभियान।
8) सितंबर 2022 में, सरकार ने टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) शुरू किया, जिसका उद्देश्य टीबी से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है।

सामान्य जनसंख्या एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या में टीबी ग्रस्त पाए गए लोगों की कुल संख्या और उनमें एचआईबी पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या का पिछले चार वर्षों का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I-क और I-ख में दिया गया है। एनटीईपी के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक-I–क

सामान्य जनसंख्या और जनजातीय क्षेत्रों में अधिसूचित टीबी रोगियों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020				2021			
	टीबी के कुल अधिसूचित मामले	टीबी-एच आईवी सह-संक्रमित लोगों की संख्या एवं उनका प्रतिशत	जनजातीय क्षेत्रों में अधिसूचित टीबी के मामले	जनजातीय क्षेत्रों में टीबी-एच आईवी सह -संक्रमित व्यक्ति (संख्या एवं प्रतिशत)	टीबी के कुल अधिसूचित मामले	टीबी-एच आईवी सह -संक्रमित लोगों की संख्या एवं उनका प्रतिशत	जनजातीय क्षेत्रों में अधिसूचित टीबी के मामले	जनजातीय क्षेत्रों में टीबी-एचआईवी सह-संक्रमित व्यक्ति (संख्या एवं प्रतिशत)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	491	4 (0.8%)	109	0 (0%)	522	3 (0.6%)	85	1 (1.2%)
आंध्र प्रदेश	64889	3586 (5.5%)	8409	349 (4.2%)	87817	4979 (5.7%)	11818	471 (4%)
अरुणाचल प्रदेश	2603	5 (0.2%)	2603	5 (0.2%)	2917	4 (0.1%)	2914	4 (0.1%)
असम	35492	218 (0.6%)	6143	26 (0.4%)	38208	288 (0.8%)	7087	15 (0.2%)
बिहार	102614	1539 (1.5%)	10533	101 (1%)	136510	1877 (1.4%)	11616	96 (0.8%)
चंडीगढ़	2897	156 (5.4%)	0	0 (0%)	3245	175 (5.4%)	0	0 (0%)
छत्तीसगढ़	29519	499 (1.7%)	0	0 (0%)	32772	498 (1.5%)	0	0 (0%)
दादरा और नगर हवेली और दमन दीव	773	13 (1.7%)	492	11 (2.2%)	764	11 (1.4%)	470	8 (1.7%)
दिल्ली	76245	966 (1.3%)	0	0 (0%)	85080	1183 (1.4%)	0	0 (0%)
गोवा	1647	50 (3%)	0	0 (0%)	2032	50 (2.5%)	0	0 (0%)
गुजरात	118851	2781 (2.3%)	19664	282 (1.4%)	141225	3228 (2.3%)	22432	335 (1.5%)
हरियाणा	64426	611 (0.9%)	0	0 (0%)	71096	743 (1%)	0	0 (0%)
हिमाचल प्रदेश	13719	110 (0.8%)	315	0 (0%)	14894	124 (0.8%)	385	3 (0.8%)
जम्मू और कश्मीर	8920	61 (0.7%)	43	0 (0%)	11061	36 (0.3%)	56	0 (0%)
झारखंड	46421	320 (0.7%)	26178	108 (0.4%)	53647	345 (0.6%)	29446	168 (0.6%)

कर्नाटक	65115	4370 (6.7%)	2268	136 (6%)	71702	4401 (6.1%)	2391	178 (7.4%)
केरल	20945	243 (1.2%)	883	4 (0.5%)	22203	234 (1.1%)	810	1 (0.1%)
लद्दाख	246	1 (0.4%)	246	1 (0.4%)	327	1 (0.3%)	320	1 (0.3%)
लक्षद्वीप	17	0%	0	0 (0%)	20	0%	0	0 (0%)
मध्य प्रदेश	139229	1313 (0.9%)	21326	211 (1%)	168904	1565 (0.9%)	26178	230 (0.9%)
महाराष्ट्र	157869	5800 (3.7%)	13583	323 (2.4%)	195007	6226 (3.2%)	15683	385 (2.5%)
मणिपुर	1622	108 (6.7%)	974	72 (7.4%)	1883	117 (6.2%)	958	65 (6.8%)
मेघालय	4153	132 (3.2%)	4154	132 (3.2%)	4205	101 (2.4%)	4205	101 (2.4%)
मिजोरम	2148	264 (12.3%)	2148	264 (12.3%)	1793	301 (16.8%)	1793	301 (16.8%)
नागालैंड	3622	281 (7.8%)	3622	281 (7.8%)	3749	360 (9.6%)	3749	360 (9.6%)
ओडिशा	45591	592 (1.3%)	19735	136 (0.7%)	52276	592 (1.1%)	21563	118 (0.5%)
पुडुचेरी	1267	20 (1.6%)	0	0 (0%)	1409	30 (2.1%)	0	0 (0%)
पंजाब	47424	970 (2%)	0	0 (0%)	53177	1130 (2.1%)	1	0 (0%)
राजस्थान	137473	1273 (0.9%)	16147	215 (1.3%)	151026	1528 (1%)	17266	210 (1.2%)
सिक्किम	1385	8 (0.6%)	0	0 (0%)	1484	9 (0.6%)	0	0 (0%)
तमिलनाडु	72076	2435 (3.4%)	491	24 (4.9%)	85279	2988 (3.5%)	480	34 (7.1%)
तेलंगाना	63057	1855 (2.9%)	8087	260 (3.2%)	61046	1718 (2.8%)	7342	261 (3.6%)
त्रिपुरा	2219	24 (1.1%)	198	3 (1.5%)	2796	46 (1.6%)	270	6 (2.2%)
उत्तर प्रदेश	375723	2339 (0.6%)	3104	18 (0.6%)	467709	2669 (0.6%)	3712	17 (0.5%)
उत्तराखंड	20259	225 (1.1%)	0	0 (0%)	23775	211 (0.9%)	0	0 (0%)
पश्चिम बंगाल	76917	748 (1%)	0	0 (0%)	85130	884 (1%)	0	0 (0%)

डेटा स्रोत: नि-क्षय

अनुलग्नक-I-ख

सामान्य जनसंख्या और जनजातीय क्षेत्रों में अधिसूचित टीबी रोगियों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022				2023			
	टीबी के कुल अधिसूचित मामले	टीबी-एचआईवी सह-संक्रमित लोगों की संख्या एवं उनका प्रतिशत	जनजातीय क्षेत्रों में अधिसूचित टीबी के मामले	जनजातीय क्षेत्रों में टीबी-एचआईवी सह-संक्रमित व्यक्ति (संख्या एवं प्रतिशत)	टीबी के कुल अधिसूचित मामले	टीबी-एचआईवी सह-संक्रमित लोगों की संख्या एवं उनका प्रतिशत	जनजातीय क्षेत्रों में अधिसूचित टीबी के मामले	जनजातीय क्षेत्रों में टीबी-एचआईवी सह-संक्रमित व्यक्ति (संख्या एवं प्रतिशत)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	551	4 (0.7%)	92	0 (0%)	578	3 (0.5%)	86	1 (1.2%)
आंध्र प्रदेश	93166	4354 (4.7%)	12551	388 (3.1%)	89872	3631 (4%)	7680	200 (2.6%)
अरुणाचल प्रदेश	3024	16 (0.5%)	3012	16 (0.5%)	2803	11 (0.4%)	2793	11 (0.4%)
असम	48275	344 (0.7%)	8549	26 (0.3%)	51706	369 (0.7%)	9159	36 (0.4%)
बिहार	166943	2183 (1.3%)	14582	118 (0.8%)	190790	2277 (1.2%)	13406	108 (0.8%)
चंडीगढ़	3778	157 (4.2%)	0	0 (0%)	4233	162 (3.8%)	0	0 (0%)
छत्तीसगढ़	39312	564 (1.4%)	0	0 (0%)	38913	500 (1.3%)	0	0 (0%)
दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	919	10 (1.1%)	565	7 (1.2%)	865	10 (1.2%)	501	5 (1%)
दिल्ली	88500	1514 (1.7%)	0	0 (0%)	88696	1215 (1.4%)	0	0 (0%)
गोवा	2069	69 (3.3%)	0	0 (0%)	2026	40 (2%)	0	0 (0%)
गुजरात	147978	3052 (2.1%)	24486	317 (1.3%)	140586	2494 (1.8%)	23724	253 (1.1%)
हरियाणा	78019	818 (1%)	0	0 (0%)	80525	896 (1.1%)	0	0 (0%)
हिमाचल प्रदेश	16550	104 (0.6%)	452	0 (0%)	16019	104 (0.6%)	385	1 (0.3%)
जम्मू और कश्मीर	11963	61 (0.5%)	73	0 (0%)	11727	47 (0.4%)	70	0 (0%)
झारखंड	59946	361 (0.6%)	33412	171 (0.5%)	63041	363 (0.6%)	34952	169 (0.5%)
कर्नाटक	79364	4370 (5.5%)	2783	156 (5.6%)	80175	4021 (5%)	2732	139 (5.1%)
केरल	23560	231 (1%)	909	2 (0.2%)	21768	232 (1.1%)	832	1 (0.1%)

लद्दाख	348	0%	333	0 (0%)	345	0 (0%)	330	0 (0%)
लक्षद्वीप	22	0%	0	0 (0%)	14	0 (0%)	0	0 (0%)
मध्य प्रदेश	189980	1572 (0.8%)	30229	253 (0.8%)	186560	1530 (0.8%)	29223	257 (0.9%)
महाराष्ट्र	231649	6317 (2.7%)	21074	354 (1.7%)	224303	5335 (2.4%)	19786	322 (1.6%)
मणिपुर	2652	144 (5.4%)	1022	72 (7%)	2537	115 (4.5%)	915	55 (6%)
मेघालय	4943	149 (3%)	4944	149 (3%)	4899	128 (2.6%)	4905	128 (2.6%)
मिजोरम	2104	311 (14.8%)	2104	311 (14.8%)	2304	290 (12.6%)	2304	290 (12.6%)
नागालैंड	4246	400 (9.4%)	4247	400 (9.4%)	4307	378 (8.8%)	4308	377 (8.8%)
ओडिशा	60138	703 (1.2%)	24587	111 (0.5%)	61744	653 (1.1%)	25279	123 (0.5%)
पुडुचेरी	1528	28 (1.8%)	0	0 (0%)	1610	31 (1.9%)	0	0 (0%)
पंजाब	58204	1443 (2.5%)	0	0 (0%)	57450	1325 (2.3%)	1	0 (0%)
राजस्थान	170426	1788 (1%)	20922	216 (1%)	165801	1519 (0.9%)	21547	216 (1%)
सिक्किम	1428	13 (0.9%)	0	0 (0%)	1400	5 (0.4%)	0	0 (0%)
तमिलनाडु	96261	3100 (3.2%)	556	25 (4.5%)	100276	2707 (2.7%)	567	24 (4.2%)
तेलंगाना	73272	1866 (2.5%)	8110	228 (2.8%)	74896	1200 (1.6%)	7330	134 (1.8%)
त्रिपुरा	3315	56 (1.7%)	287	6 (2.1%)	3571	56 (1.6%)	334	2 (0.6%)
उत्तर प्रदेश	537804	2907 (0.5%)	3875	23 (0.6%)	642089	3011 (0.5%)	4543	29 (0.6%)
उत्तराखंड	27498	233 (0.8%)	0	0 (0%)	26644	228 (0.9%)	0	0 (0%)
पश्चिम बंगाल	96239	1117 (1.2%)	0	0 (0%)	103352	1186 (1.1%)	0	0 (0%)

डेटा स्रोत: नि-क्षय

अनुलग्नक-II

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आवंटन और उपयोग

(करोड़ रु में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24*	
		आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	आंध्र प्रदेश	50.79	69.80	55.87	77.55	17.29	17.29	19.02	18.83
2	अंडमान और निकोबार	1.87	0.61	2.06	0.76	0.87	0.87	0.96	0.96
3	अरुणाचल प्रदेश	16.21	22.03	17.83	20.17	6.80	6.80	7.48	7.48
4	असम	54.35	74.19	48.28	49.94	13.04	13.04	14.35	14.35
5	बिहार	55.62	62.37	41.18	45.62	11.27	11.27	12.40	12.29
6	चंडीगढ़	4.79	2.68	4.18	2.85	0.78	0.78	0.86	0.86
7	छत्तीसगढ़	43.93	36.71	38.32	21.30	8.90	8.90	9.79	9.68
8	दादरा और नागर हवेली	3.11	0.68	3.23	0.29	0.93	0.93	1.02	1.02
9	दमन और दीव	20.43	41.91	17.96	36.49	4.86	4.86	5.35	5.35
10	दिल्ली	2.93	4.13	3.22	3.76	0.72	0.72	0.79	0.78
11	गोवा	59.76	26.83	57.55	70.50	19.24	19.24	21.16	20.93
12	गुजरात	40.49	46.42	44.54	56.71	13.03	13.03	14.33	14.17
13	हरियाणा	15.11	14.46	16.62	27.36	3.47	3.47	3.82	3.78
14	हिमाचल प्रदेश	21.82	26.03	23.00	28.24	2.20	2.20	2.42	2.42
15	जम्मू और कश्मीर	30.52	60.38	42.57	76.58	8.70	8.70	9.57	9.47
16	झारखंड	63.56	75.64	69.92	110.04	25.42	25.42	27.96	27.65
17	कर्नाटक	37.85	37.83	41.63	27.85	15.60	15.60	17.16	16.97
18	केरल	4.02	1.42	3.90	2.23	1.02	1.02	1.12	1.12
19	लक्षद्वीप	0.20	0.18	0.62	0.44	0.16	0.16	0.18	0.18
20	मध्य प्रदेश	75.15	119.70	77.67	127.93	15.39	15.39	16.93	16.76
21	महाराष्ट्र	118.10	207.06	104.92	252.78	25.90	25.90	28.49	28.19
22	मणिपुर	25.08	18.34	23.59	11.71	6.81	6.81	7.49	7.49
23	मेघालय	10.25	17.13	11.28	6.51	3.63	3.63	3.99	3.99
24	मिजोरम	12.86	14.85	14.14	9.17	4.74	4.74	5.21	5.21
25	नागालैंड	17.35	17.23	19.09	14.10	4.40	4.40	4.84	4.84
26	उड़ीसा	47.61	82.02	52.37	79.17	10.78	10.78	11.86	11.74
27	पुडुचेरी	2.88	2.93	4.17	2.29	0.70	0.70	0.77	0.77
28	पंजाब	37.58	29.21	41.34	32.84	14.07	14.07	15.48	15.31
29	राजस्थान	40.92	83.20	40.02	51.19	16.66	16.66	18.33	18.14
30	सिक्किम	8.55	9.42	9.41	6.35	2.57	2.57	2.83	2.83
31	तमिलनाडु	89.97	112.41	64.97	127.59	15.90	15.90	17.49	17.31
32	त्रिपुरा	10.32	12.54	11.35	8.32	3.20	3.20	3.52	3.52
33	उत्तर प्रदेश	122.88	226.44	135.17	333.36	25.82	25.82	28.40	28.13
34	उत्तराखंड	20.24	16.68	22.27	22.06	5.19	5.19	5.71	5.65
35	पश्चिम बंगाल	81.28	109.10	79.40	128.99	15.37	15.37	16.91	16.74
36	तेलंगाना	47.41	48.77	52.15	54.23	12.51	12.51	13.76	13.61

नोट: 1. वर्ष 2022-23 से आवंटन और व्यय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नकद अनुदान शामिल नहीं है जिसे एनएचएम द्वारा सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक सामान्य पूल अर्थात आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल के रूप में जारी किया जा रहा है। ;

2. जाति के भिन्न सभी समुदायों के लाभ के लिए निधियों का आवंटन किया जाता है 3. *उपयोग 06.02.2024 तक है।

*****